कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना

Email :- deomorena@gmail.com , delectmor-mp@mp.gov.in, Fax No. 07532-226500, Phone No. 07532-250122

क्रमांक/निर्वा./2020/1122 मुरैना, दिनांक- 25/08/2020

::संशोधित-आदेश::

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 888 मुरैना, दिनांक 13.07.2020 से उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत उड़नदस्ता दल (एफएसटी) दल का गठन किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार उड़नदस्ता दल (एफएसटी) दल का गठन किया जाता है :-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का नाम	नवीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक कहाँ से कहाँ तक
	04-जौरा	श्री गोपालदास वेश्य, प्राध्यापक, शास. पी.जी कॉलेज, मुरैना सुबह 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक	श्री धर्मेन्द्र कुमार आर्य, प्राचार्य, स.के. शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. जौरा सुबह 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक	160 से 279 तक
	06-मुरैना	श्री ए.के. कुलश्रेष्ठ, ए.ई. जिला परियोजना समन्वयक केन्द्र, मुरैना 9893539634 रात्रि 08:00 बजे से सुबह 08:00 बजे तक	श्री गोपाल सिंह परमार, प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा. वि. क्रमांक 1 मुरैना रात्रि 8.00बजे से सुबह 8.00बजे तक	252 से 322 तक

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत निर्वाचन की गतिविधियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन हेतु निर्वाचकों को भयभीत करने प्रभावित करने व रिश्वत के सभी प्रकारों को रोके जाने तथा निर्वाचकों को अभित्रस्त करके या निःशुल्क भोजन अथवा नकदी व शराब वितरण द्वारा प्रलोभित करने, धनशक्ति तथा बाहुबल के प्रयोग को रोके जाने के प्रयोजन तथा निर्वाचन की शुचिता को बनाये रखने के लिये व निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवैध हथियार गोला बारूद शराब वितरण या असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर निगरानी हेतु उड़नदस्ता दल (FS Team) का गठन किया गया है।

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित फ्लांइग स्क्वाड (एफ.एस.) के सभी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण मे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा की तारीख से मतदान की समाप्ति तक अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्हें सौपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगें।

उपरोक्त सभी अधिकारियों की ड्यूटी का समय परिवर्तन 7-7 दिवस के बाद रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा परिवर्तन की जायेगी। समय परिवर्तन की सूचना लिखित में इस कार्यालय को दी जाना अनिवार्य होगा।

एफ.एस. द्वारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अवैध शराब वितरण, रिश्वत की मदों, या बड़ी मात्रा नगदी अस्त्र शस्त्र गोला बारूद और समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही पर निगाहें रखी जावेगी, जॉच के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियों ग्राफी कराई जाकर एफ.एस.टी द्वारा दैनिक गतिविधियों की रिर्पोट नियमित रूप से पुलिस अधीक्षक, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, जिला निर्वावन अधिकारी तथा प्रेक्षक को नियमित रूप से दी जायेगी।

उपरोक्त सभी अधिकारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य करेगें।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

K Pandey

संयुक्त कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-मुरैना
मुरैना, दिनांक- 22 /08/2020

पृ.क्रमांक/निर्वा./2020/1123
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, मुरैना।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना।
5. अपर कलेक्टर, मुरैना।
6. रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र.................................(समस्त) जिला-मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित कार्यालय प्रमुख...जिला-मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को सर्व कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जिले की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मुरैना की ओर प्रकाशनार्थ।
10. नोडल अधिकारी व्यय निगरानी उप निर्वाचन 2020 जिला-मुरैना।
11. संबंधित श्री.................................की ओर पालनार्थ।
12. स्टेनो-टू-कलेक्टर, मुरैना।

संयुक्त कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-मुरैना